आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद सं0–52/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री रतनलाल स्वांसी एवं रिझू महतो, पंचायत–गुटजोरा, प्रखण्ड+जिला–खूँटी एवं द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। पिछली सुनवाई में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्त्ता रतनलाल स्वांसी को भेजी थी और उन्हें जिला आपूर्ति पदाधिकारी के भेजे गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। आयोग की आज की सुनवाई में शिकायतकर्त्ता एवं उनके सहयोगी उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता ने लिखित और मौखिक तौर पर आयोग को बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी डीलर से मिले हुए है। आयोग शिकायतकर्त्ता के आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता। आयोग सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। आयोग के सामने उपलब्ध तथ्य जिसमें ग्राम प्रधान और पंचायत समिति द्वारा आयोग के भेजे प्रतिवेदन में ये कहा गया है कि आरोपीत डीलर का अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। आयोग किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप को स्वीकार नहीं कर सकता है। आयोग का सिर्फ इतना मत है कि उन 52 शिकायतकर्त्ताओं को जिन्होंने अनाज न मिलने की शिकायत की है, उन्हें उस काल में निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का या तो प्रमाण पेश किया जाय अथवा प्रमाण नहीं हो तो उन्हें उस काल खण्ड का जिस काल खण्ड की शिकायत की गई है, सवा गुणा मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश भी देता है कि वो उस राशन डीलर के कियाकलाप की सघन जाँच करें और ये सुनिश्चित करें कि वो अनाज में किसी स्तर पर किसी भी लाभुक से कटौती न करे और उसी मात्रा में अनाज का वितरण करे जिस मात्रा में अनाज का वितरण किया जाता है। उन सभी लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण या लाभुकों को सवा गुणा अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx20 पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002 email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267	